रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/आषाढ़ 17, 1937
No. 187] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASADHA 17, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धिपत्र-III

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित 22.03.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. 2014/ई(जीआर)1/18/1,भाग-I, खंड-I में इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2014 संबंधी नियम अधिसूचित किए गए हैं।

फा. सं. 2014/ई(जीआर)1/18/1.—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 22.03.2014 की अधिसूचना, सं. 2014/ई(जीआर)I/18/1, भाग-I, खंड-I जिसमें इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2014 संबंधी नियम अधिसूचित किए गए हैं, में दिनांक 21.01.2015 तथा 17.02.2015 के शुद्धिपत्रों के अतिरिक्त एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं:-

(1) भारतीय निरीक्षण सेवा (सहायक निदेशक ग्रेड-।) - चिकित्सा संबंधी मानदंड परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

(क) **ए तकनीकी** पृष्ठ 87 पर तालिका की मद सं. 2 पर चश्में के साथ अथवा चश्मे के बिना दूर तथा नजदीक की दृष्टि के मानदंडों में भारतीय सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा के बाद भारतीय निरीक्षण सेवा (सहायक निदेशक ग्रेड-।) को जोड़ा गया है।

(ख) पृष्ठ 88 में तकनीकी सेवाओं अथवा पदों जिनमें उच्च ग्रेड के रंग बोध की आवश्यकता होती है (vii) भारतीय सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा के बाद (viii) भारतीय निरीक्षण सेवा (सहायक निदेशक ग्रेड-।) को जोड़ा गया है।

उपर्युक्त के अलावा, 22.03.2014 को सरकार द्वारा जारी शेष अधिसूचना तथा दिनांक 21.01.2015 और 17.02.2015 के शुद्धिपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

रश्मि चौधरी, कार्यपालक निदेशक (जीसी)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

CORRIGENDUM-III

New Delhi, the 8th July, 2015

Gazette Notification No. 2014/E(GR)I/18/1, Part-I, Section-I, dated 22.03.2014 published by the Ministry of Railways (Railway Board), notifying the Rules of Engineering Services Examination 2014.

F. No. 2014/E(GR)I/18/1.—In the Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. 2014/E(GR)I/18/1, Part-I, Section-I, dated 22.03.2014 published by the Ministry of Railways (Railway Board), notifying the Rules of Engineering Services Examination 2014, in addition to Corrigenda dated 21.01.2015 and 17.02.2015 the following corrigendum is hereby made:-

(1) Indian Inspection Service (Asst. Dir. Grade-I) – Medical standards in Appendix II

(a) **A. Technical** at page No.87 in the standards for distance and near vision with or without glasses at item No.2 of the table, Service named "Indian Inspection Service (Asst. Dir. Grade-I)" is inserted after 'Survey of India Group 'A'.

(b) At page No.88 in the Technical Services or Posts requiring higher grade colour perception after (vii) Survey of India Group 'A' Service, Indian Inspection Service (Asst. Dir. Grade-I) is inserted at (viii)

Besides the above, rest of Notification issued by the Government dated 22.03.2014 and corrigenda dated 21.01.2015 and 17.02.2015, will remain unchanged.

RASHMI CHOWDHARY, Exec. Director Estt. (GC)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.